

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी-विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :-56/2021 (2021/140)
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

दर्ज दिनांक 23.03.2021

शीर्षक

1. कमला पुत्री वेणीराम जाट
 2. गीता पुत्री वेणीराम जाट
 3. नानी पुत्री वेणीराम जाट
 4. रतनलाल आत्मज भेरा जाट
 5. रामकन्या पुत्री किशनलाल जाट
 6. लीला पुत्री किशनलाल जाट
 7. शंकरी पुत्री वेणीराम जाट
 8. सुगना पुत्री वेणीराम जाट
 9. हरलाल आत्मज वेणीराम जाट
- सर्व निवासी सहाड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. भवानीराम आत्मज परशु जाट
 2. गोपीलाल आत्मज बिहारी जाट
 3. देवीलाल आत्मज रामा जाट
 4. धापुदेवी पत्नि मोहनलाल जाट
 5. प्यारचन्द आत्मज रामा जाट
 6. पुष्पा पुत्री मोहन लाल जाट
 7. पारसी पुत्री मोहन लाल जाट
 8. बगतावरी पत्नि जुवारा जाट
 9. मीठुलाल आत्मज बिहारी जाट
 10. रामेश्वर आत्मज मोहनलाल जाट
 11. मोहनी पत्नि शंकरलाल जाट
 12. शंकरलाल आत्मज जुवारा जाट
 13. गोपु आत्मज अमरचन्द जाट
 14. चांदी पत्नि नानु जाट
 15. बाली पुत्री रामलाल जाट
 16. भैरू लाल आत्मज नानु जाट
 17. मुकेश आत्मज नानु जाट
 18. मीना पुत्री नानु जाट
 19. मोहन आत्मज अमरचन्द जाट
 20. मोहनीबाई पत्नि रामलाल जाट
 21. रेखा पुत्री अम्बालाल जाट
 22. रतनलाल आत्मज रामलाल जाट
 23. सुन्दरदेवी पत्नि अम्बालाल जाट
 24. सुशीला पुत्री नानु जाट
 25. शिवलाल आत्मज अम्बालाल जाट
- सर्व निवासी सहाड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।



—विपक्षीगण

2
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाडा

उपस्थिति-

अधिवक्ता प्रार्थीगण:- श्री रामेश्वर लाल जाट

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय

दिनांक:-05.07.2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर ग्राम सहाड़ा पटवार हल्का सहाड़ा तहसील सहाड़ा में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1162 रकबा 0.09 हे0, 1163 रकबा 0.79 हे0, 1164 रकबा 0.20 हे0, 1165 रकबा 1.40 हे0 कुल किता 04 कुल रकबा 2.48 हे0 भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 1084 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 संलग्न हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 25 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के खातेदार को अपनी सीमा का ज्ञान होना व पत्थरगढी कराने का अधिकार है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम सहाड़ा पटवार हल्का सहाड़ा तहसील सहाड़ा में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1162 रकबा 0.09 हे0, 1163 रकबा 0.79 हे0, 1164 रकबा 0.20 हे0, 1165 रकबा 1.40 हे0 कुल किता 04 कुल रकबा 2.48 हे0 भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 1084 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढी की जाने के आदेश किये जाते हैं, उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता है तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें। प्रार्थीगण बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 800/- (आठ सौ रु. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 800/- (आठ सौ रु. मात्र) सम्बन्धित भु-अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा) 2.